उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–04

संख्या– 983 /XXXI(4)2021–57(विविध)/2015

देहरादून : दिनांक, 06 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा, (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा, (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आरक्षण– 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार देय होगा।	**आरक्षण**– 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अपर निजी सचिव के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए– **शैक्षिक अर्हताएं**–8. (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता तथा सरकार द्वारा मान्यता	अपर निजी सचिव के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए– **शैक्षिक अर्हताएं**–8. (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई

प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से 01 वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अथवा कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि।	अर्हता; परंतु यह कि मुख्य परीक्षा में 'कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा' पास करना अनिवार्य है।
(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 8000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति।	(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 8000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति।
(तीन) अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति।	(तीन) अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति।
स्पष्टीकरणः– अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिये वैकल्पिक होगी, किन्तु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जायेगा।	स्पष्टीकरणः– अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिये वैकल्पिक होगी, किन्तु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जायेगा।

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिमानी अर्हताएं– 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या, (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	**अधिमानी अर्हताएं**– 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या, (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नियम 10 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु– 10. सीधी भर्ती के लिये यह	**आयु**– 10. सीधी भर्ती के लिये

आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियॉ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली गयी हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की गयी हो; परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी कि विहित की जाय।	अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाती हैं, उस वर्ष की पहली जुलाई को उतनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो, जैसा समय–समय पर निर्धारित किया जायः परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी कि विहित की जाय।

नियम 13 का संशोधन 6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शारीरिक स्वस्थता– 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक व शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 (भाग–2 से 4) के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।	**शारीरिक स्वस्थता**– 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा में सफल हो गया हो। (2) सेवा में अन्य पदों के मामले में

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–II, भाग– III के अध्याय– III में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

परंतु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अंतर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगो को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट 'क' का संशोधन

7. मूल नियमावली के स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट 'क' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट 'क' रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4 का उप नियम (2) एवं नियम 20 का उप नियम (2) देखिये)

क्र स	पद नाम	पदों की संख्या			वेतन मान		
1	अपर निजी सचिव	स्थायी	अस्थायी	योग	वेतन बैंड	वेतन मान	ग्रेड वेतन
		138	43	181	02	9300–34800	4600

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4 का उप नियम (2) एवं नियम 20 का उप नियम (2) देखिये)

क्र स	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
1	अपर निजी सचिव	स्थायी	अस्थायी	योग	47600–151100 (लेवल –8)
		138	43	181	

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

o/c

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. / Dated 2021 for general information.

Government of Uttarakhand

Secretariat Administration (Establishment) Section -4

No. 984 XXXI(4)2021-57(विविध)/2015

Dehradun: Dated: 06 सितम्बर **, 2021**

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution Of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Secretariat Additional Private Secretary Service Rules, 2011 (as amended from time to time)

THE UTTARAKHAND SECRETARIAT ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement	1.	(1) These Rules may be called the Uttarakhand Secretariat Additional Private Secretary Service (Amendment) Rules, 2021. (2) They shall come into force at once.
Amendment in rule 6	2.	In the Uttarakhand Secretariat Additional Private Secretary Service Rules, 2011 (as amended from time to time) (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing rule 6 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule hereby substituted**
6. Reservation: Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other Categories belonging to the State of	**6. Reservation**: Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other Categories belonging to the State of Uttarakhand shall be

Uttarankhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.	in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Amendment of rule 8 3. In the principal rules for the existing rule 8 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule hereby substituted**
8. Academic Qualification: A candidate for direct recruitment to the post of Additional Private Secretary, must possess the following qualification:-	**8. Academic Qualification:** A candidate for direct recruitment to the post of Additional Private Secretary, must possess the following qualification:-
(i) A Bachelor's degree from the university established by Law in India or a qualification recognized by the Governments as equivalent thereto and one year certificate of computer curriculum from any institution/university recognized by the Governments OR A Bachelor's degree with computer science.	(i) A Bachelor's degree from the university established by Law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto: Provided that it essential to pass computer related practical knowledge in the main examination.
(ii) A minimum speed of writing 80 words per minute in Hindi shorthand and 8000 Key-Depression per hour in Hindi Computer typing.	(ii) A minimum speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and 8000 Key-Depression per hour in Hindi Computer typing.
(iii) Candidates having minimum speed of writing 100 words per minute in English shorthand and a	(iii) A minimum speed of 100 words per minute in English shorthand and a minimum speed of 9000 Key-Depression per hour in English Computer typing. **Explanation** : English shorthand exam for candidates shall be optional but the candidates passing the English shorthand exam shall be given

minimum speed of 9000 Key-Depression per hour in English Computer typing. **Explanation** : English shorthand exam for candidates will be optional but the candidates passing the English shorthand exam will be given preference in the selection.	preference in the selection.

Amendment of rule 9 4. In the principal rules, for the existing rule 9 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule hereby substituted**
9. Preferential Qualification: Other things remaining the same, a candidate shall be given preference in the matter of recruitment to the Service, who has: (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or (ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.	9. **Preferential Qualification:** Other things being same, a candidate shall be given preference in the matter of recruitment to the Service, who has: (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or (ii) Obtained a "B" or "C" certificate of National Cadet Corps.

Amendment of rule 10 5. In the principal rules, for the existing rule10 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule hereby substituted**
10. Age: For direct recruitment, a candidate must have attained minimum age of 18 years and must not have attained more than 35 years age, on the first day of July of the	**10. Age:** For direct recruitment, a candidate must have attained the prescribed minimum age and must not have attained the maximum age, on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised by the

calendar year in which vacancies are advertised for direct recruitment; Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand, as may he notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.	Commission or any other recruitment authority, from time to time: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand, as may he notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Amendment of rule 13 **6.** In the principal rules, for the existing rule13 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule hereby substituted
13. Physical Fitness: No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand- Book Volume II(Part II to IV).	**13. Physical Fitness:** (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass the examination of Medical Board. (2) For other posts in the service he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand- Book Volume II: Provided that for the posts in order of section 33, identified for the purpose and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

(Act 49 of 2016) the disabled shall not be denied for appointment as per rules.

Amendment of Appendix "A"

7. In the principal rules, for the existing Appendix "A" as set out in column-1 below, the Appendix as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Appendix "A"

(see sub rule (2) of rule 4 and sub rule (2) of rule 20)

Sl.No.	Designation	No of Posts			Pay scale		
1	Additional Private Secretary	Permanent	Temporary	Total	Pay band	Pay scale (Rs.)	Grade Pay
		138	43	181	02	9300-- 34800	4600

Appendix "A"

(see sub rule (2) of rule 4 and sub rule (2) of rule 20)

Sl.No.	Designation	number of posts			pay scale
1	Additional Private Secretary	Permanent	Temporary	Total	47600–151100 (Level –8)
		138	43	181	

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary

o/c